S/No. 5 (मिशन)

Speed Post

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

No. NI/1/2013/MAHA/ATRA/RU-IV

Dated ....20.03.2013........................

To

1. The Secretary
   Ministry of Tribal Affairs
   Shastri Bhawan
   New Delhi

2. The Chief Secretary
   Govt. of Maharashtra
   Manatralaya
   Mumbai

Sub: News item from the Hindu (Delhi Edition) dated 01.01.2013 regarding "15 tribal school staff members suspended for lapse" in a case of alleged gang rape of a tribal girl, class 12 student in Nashik District.

Sir,

I am directed to refer to D.O. letter No. 30/20 dated 07.01.2013 of the Hon'ble Minister of Tribal Affairs & Panchayati Raj addressed to the Hon'ble Chairperson, NCST on the above subject and to enclose a copy of the report of the spot visit with the observations/suggested by Shri Bheru Lal Meena, Hon'ble Member, NCST for necessary action under intimation to the Commission.

Yours faithfully,

(N. Balasubramanian)
Research Officer

Copy for information to:-

1. The Private Secretary to the Minister of Tribal Affairs and Panchayati Raj Shastri Bhawan, New Delhi w.r.t. letter No. 30/20 dated 07.01.2013 of the Hon'ble Minister of Tribal Affairs & Panchayati Raj, New Delhi.
2. The Commissioner, Tribal Welfare Department, Govt. of Maharashtra Nashik, Maharashtra.

1599-1600
20/3/13

(N. Balasubramanian)
Research Officer

Copy to:-
1. SSA, NIC

F/C

दौरे की रिपोर्ट

राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक आश्रम स्कूल, पलसन, तालुका–सुरगाणा, जिला–नाशिक में 23/12/2012 को आदिवासी आश्रम में 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटित घटना पर श्री भैरू लाल मीणा, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की दौरा रिपोर्ट।

आयोग के अध्यक्ष, डा0 रामेश्वर उरांव ने हिन्दु एडिसन की न्यूज आईटम दिनांक 01/01/2013 को हुई आदिवासी आश्रम में 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच हेतु श्री भैरू लाल मीणा, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्रीमती के0डी बन्सौर, उप निदेशक (महिला अधिकारी) को पीड़िता छात्रा और मामले में प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही की जांच हेतु घटना स्थल पर राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक आश्रम, पलसन, तालुका–सुरगाणा, जिला–नाशिक भेजा। टीम दिनांक 15/01/2013 को मुम्बई पहुंच कर दिनांक 16/01/2013 को मुम्बई से नाशिक के लिए रवाना हुए। नाशिक में जिला कलेक्टर एवं प्रोजेक्ट ऑफिसर, जनजातीय विकास विभाग, नाशिक से मिले तथा उनसे प्राथमिक जानकारी ली गयी तथा राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक आश्रम, पलसन, तालुका–सुरगाणा, जिला–नाशिक पहुंचे।

पृष्ठभूमि

"आयोग को समाचार पत्र 'हिन्दू एडिसन' से जानकारी मिली कि नाशिक जिले के जनजाति बच्चों के लिए आश्रमशाला विद्यालय में एक 12वीं कक्षा की जनजाति छात्रा जो 18 वर्ष की थी, जिसके साथ विद्यालय प्रांगण के ठीक बाहर 23 दिसम्बर को पांच व्यक्तियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उसके लिए विद्यालय के पंद्रह कर्मचारी सदस्यों को सोमवार को धटित दिन में अनुपस्थित होने के वजह से जंनजातीय विकास विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया।

"द हिन्दू" के रिपोर्ट के अनुसार घटित दिन में कर्मचारी सदस्य ही नहीं बल्कि प्रिंसिपल श्री डी.एस.देवरे कैम्पस में उपरिथत नहीं थे। विभाग के नियमानुसार सभी को

राज्य के आश्रमशाला के प्रांगण में उपस्थित होना चाहिए था। श्री देवरे पर पिछले सप्ताह ही संदेह किया गया था।

जनजाति विभाग कमिश्नर (नाशिक विभाग) के सांभाजी सरकुंडे ने "द हिन्दू" को बताया कि कर्मचारी सदस्यों की अनुपस्थिति एक गंभीर लापरवाही के रूप में देखा जा रहा है। इन पर कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। श्री सरकुंडे ने बताया कि लड़की ने जो आरोप लगाया था कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, उस पर संदेह हुआ क्योंकि उसने शिक्षकों को एक बयान दिया कि उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है और जबकि उसे विद्यालय प्रांगण के बाहर एक लड़के के साथ देखा गया। विषयवस्तु थोड़ी संदेहजनक है। उसने ठीक चार दिन बाद दुष्कर्म केस दर्ज किया। जबकि लड़की की माँ ने " द हिन्दू" को बताया कि शिक्षक लड़की को गलत बयान देनें के लिए दबाव डाल रहे थे कि उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया था। लेकिन नासिक ग्रामीण पुलिस ने बयान दिया कि लड़की ने बताया था कि जिन व्यक्तियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था उन्होंने इस घटना को किसी से न कहने की और जान से मारने की धमकी दी थी। चार व्यक्तियों को जो पलसन के हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनको 7 जनवरी तक पुलिस के कस्टडी में ले लिया गया जबकि एक नाबालिग है जो पुलिस के हिरासत में है।

श्री सरकुंडे ने बताया कि राज्य के बाहर के आश्रमशालाओं के रिक्त पदों को भरना बहुत जरूरी था जबकि सरकार ने एक बार में तीन प्रतिशत ही खाली पदों को भरने की अनुमति देते हैं। हमने ज्यादा कर्मचारी सदस्यों के लिए सरकार से कहा लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया।

"द हिन्दू" ने रविवार को रिपोर्ट दिया कि पलसन के आश्रमशाला में कोई भी महिला कर्मचारी सदस्य नहीं थी। श्री सरकुंडे ने बताया कि महिला कर्मचारी और अधीक्षक की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर तुरन्त कार्रवाई होनी चाहिए। पलसन आश्रमशाला के 24 अध्यापन और गैर–अध्यापन कर्मचारियों में से 9 रिक्त हैं। अधीक्षक पद सन् 2000 से खाली है।"

राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक आश्रम, पलसन, तालुका–सुरगाणा, जिला–नाशिक का दौरा तथा अधिकारियों एवं उप पुलिस अधीक्षक के साथ चर्चा।

पलसन प्राईमरी स्कूल की स्थापना 1972 में हुई तथा माध्यमिक सेक्सन नवम्बर, 1979 में और उच्च माध्यमिक आश्रम स्कूल 18 अगस्त, 1999 को अपग्रेड किए गए। स्कूल और आश्रम 6 हेक्टेयर 37 आर में फैला हुआ है। स्कूल रोड तथा यातायात से दूर है। मेन रोड जो स्कूल को जाती है वह तार रोड है तथा उसके साथ इन्टरनल रोड है जो सीम्पल रोड है। स्कूल के लिए होस्टल बिल्डिंग, क्वाटर, कीचन, स्टोर रूम, वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर, टायलेट और बाथरूम है। पलसन के आश्रम स्कूल में छात्रों की सं0 226 और छात्राओं की सं0 311 है। नोन होस्टल छात्र 51 और छात्रा 60 है जिनकी कुल संख्या 111 है। अन्य की संख्या में 121 छात्र और 57 छात्राएं है जिनकी संख्या 178 है। पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक पढ़नेवाले छात्रों की संख्या 483 एवं छात्राओं की संख्या 343 है। आश्रम स्कूल में कुल 826 विद्यार्थी पढ़ते हैं।

आश्रम स्कूल, पलसन में माध्यमिक प्रधानाध्यापक 1, जूनियर कालेज अध्यापक 7, माध्यमिक अध्यापक 4, सेन्टर चीफ 1, ग्रेजुएट प्राईमरी टीचर 1, प्राईमरी टीचर 6, सुपरीटेनडेंट (पुरूष) 1, सुपरीटेनडेंट (महिला) 1, जूनियर कलर्क 1, लैब अटेनडेंट 1, प्यून 1, कूक 7, नौकरानी 1, वाचमैन 1 और सफाई कर्मचारी 1 है। कुल 39 में से 21 पद भरे हैं। खाली पदों की संख्या 18 है।

सहायक जनजातीय कमिश्नर एवं परियोजना अधिकारी ने जानकारी दी कि प्रधानाध्यापक एवं वार्डन अन्डर ससपेन्सन है तथा टीम प्रधानाध्यापक एवं वार्डन से नहीं मिल पाए।

सहायक जनजातीय कमिश्नर एवं परियोजना अधिकारी से पूछताछ की जिसमें चर्चा दौरान आयोग को निम्नलिखित बिन्दुओं से अवगत कराया गया :–

आयुक्त, जनजातीय विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक के नियंत्रण के अधीन 552 राजकीय आश्रम विद्यालय एवं 556 अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय हैं। परियोजना अधिकारी, आईटीडीपी, कलवन, जिला नाशिक के नियंत्रण के अधीन 41 राजकीय आश्रम विद्यालय एवं 39 अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय हैं। राजकीय आश्रम विद्यालय, पलसन, तालुका–सुरगाणा, जिला–नाशिक में कुमारी रोहिणी रामचंद्र पवार नाम की एक बालिका विद्यार्थी कक्षा XII (विज्ञान) में पढ़ रही है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वह दिनांक 23/12/2012 को 3.30 अपराह्न से लगभग 8.30 बजे अपराह्न तक विद्यालय से गायब थी। इस स्कूल से अपनी अनुपस्थिति के बारे में विद्यालय के प्रधानाध्यापक को 23/12/2012 को दिए गए अपने प्रारंभिक कथन में कुमारी रोहिणी बताया कि उस अवधि के दौरान उसके साथ कुछ भी अनहोनी घटित नहीं हुई। परन्तु 24/12/2012 को परियोजना अधिकारी, कलवन को एक अज्ञात टेलीफोन कॉल प्राप्त हुई जिसमें कहा गया कि राजकीय आश्रम स्कूल, पलसन में एक बालिका विद्यार्थी के साथ कुछ अनहोनी घटित हुई। टेलीफोन कॉल संदेश के सत्यापन के लिए 24/12/2012 को एक तीन सदस्यीय समिति को राजकीय आश्रम विद्यालय, पलसन भेजा गया। प्रधानाध्यापक तथा महिला अधीक्षक ने अपने लिखित अभिकथनों में स्पष्ट किया कि कोई भी अनहोनी घटित नहीं हुई है। कुमारी रोहिणी के माता–पिता ने भी अभिकथन किया कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है। प्राप्त रिपोर्टों की पुष्टि के लिए एक दो सदस्यीय दल को दिनांक 25/12/2012 को फिर से आवासीय गांव–लहन भोरमल, ता.–सुरगाणा भेजा गया। उस समय कुमारी रोहिणी ने प्रकट किया कि 23/12/2012 को कुछ लड़कों द्वारा उसके साथ छेड़खानी की गयी थी। उसके अभिकथनों में असंगति होने के कारण प्रधानाध्यापक, कुमारी रोहिणी और उसके माता–पिता अपराध की रिपोर्ट कराने के लिए 25/12/2012 को पुलिस थाना सुरगाणा गये।

पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान कुमारी रोहिणी ने पुनः अभिकथन किया कि उसके साथ कोई भी अनहोनी घटित नहीं हुई। अतः पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। दिनांक 26/12/2012 को एक अज्ञात व्यक्ति ने आयुक्त, जनजातीय विकास, नाशिक को फोन

किया कि राजकीय आश्रम स्कूल, पलसन में एक बालिका विद्यार्थी के साथ कुछ अनहोनी घटित हुई है। अतः 26/12/2012 को परियोजना अधिकारी, आईटीडीपी, कलवन को मामले की जांच करने के लिए कहा गया। परियोजना अधिकारी, आईटीडीपी, कलवन के समक्ष दिए गए अभिकथन में कुमारी रोहिणी ने बताया कि कुछ लड़कों द्वारा 23/12/2012 को उसके साथ छेड़खानी की गयी और दुष्कर्म किया गया तथा उसे धमकी दी गयी। उसके पिता श्री रामचंद्र पवार ने भी अभिकथन दिया कि उनकी पुत्री के साथ न्याय किया जाए।

अतः परियोजना अधिकारी, आईटीडीपी, कलवन के साथ कुमारी रोहिणी एवं उसके माता-पिता पुलिस थाना, सुरगाणा गये एवं वहां कुमारी रोहिणी ने 27/12/2012 (6.00 पूर्वाह्न) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323, 504, 506 और 114 के अधीन एफआईआर दर्ज करायी। आयुक्त, जनजातीय विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक, अपर जनजातीय आयुक्त, नाशिक और परियोजना अधिकारी, आईटीडीपी, कलवन ने 27/12/2012 को विद्यालय का दौरा किया आगे की जांच के लिए पुलिस निरीक्षक एवं उपखण्ड पुलिस अधिकारी, सुरगाणा ने भी विद्यालय का दौरा किया। अन्वेषण कर ही पुलिस के साथ कुमारी रोहिणी को चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया। रिपार्ट प्रतीक्षित है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक और छात्रावास अधीक्षक, (पुरुष) को दिनांक 27/12/2012 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

उप पुलिस अधीक्षक से चर्चा

उप निरीक्षक, सुरगाणा ने जानकारी दी कि रोहिणी रामचंद्र पवार पुत्री श्री रामचंद्र गंगाराम पवार, आयु 18 वर्ष, जाति कोकणा ने अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवायी कि उसके साथ हुए अत्याचार घटना स्थल पलसन आश्रम स्कूल से आधा किलोमीटर दूर ज्योतिधारा नाला फॉरेस्ट के पास तथा पुलिस ने दिनांक 27/12/2012 को उपरोक्त मामले की रिपोर्ट भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सेक्सन I 90/2012 u/s. 376(छ), 114, 323, 504, 506 के अन्तर्गत दर्ज की।

अभियुक्तों के नाम –

1. नितिन वसंत गांगोड़े, उम्र–16 वर्ष, जाति– हिन्दु कोकणा महादेव कोली, पलसन, तालुका–सुरगाणा, जिला–नाशिक, राज्य–महाराष्ट्र
2. पांडुरंग देवराम वागमरे, उम्र–19 वर्ष, जाति–हिन्दु महादेव कोली, पलसन, तालुका–सुरगाणा, जिला–नाशिक, राज्य–महाराष्ट्र
3. सावलीराम एकनाथ निकुले, उम्र–24 वर्ष, जाति– हिन्दु महादेव कोली, पलसन, तालुका–सुरगाणा, जिला–नाशिक, राज्य–महाराष्ट्र
4. दिनकर मधुकर गांगुड़े, उम्र–24 वर्ष, जाति–हिन्दु महोदव कोली, पलसन, तालुका–सुरगाणा, जिला–नाशिक, राज्य–महाराष्ट्र
5. सुरेश सोनू पवार, उम्र–22 वर्ष, जाति हिन्दु महादेव कोली, पलसन, तालुका–सुरगाणा, जिला–नाशिक, राज्य–महाराष्ट्र

अभियुक्त सं0 1 अर्थात् श्री नितिन वसंत गांगोड़े, उम्र–16 वर्ष, को 28/12/2012 को 11.35 बजे पुलिस ने पकड़ा और किशोर न्यायालय, नाशिक में प्रधान जज के समक्ष पेश किया गया और अभियुक्त किशोर को रिमांड होम, नाशिक में रखा गया। अभियुक्त सं0 2 से 4 को 27/12/2012 को 16.05 बजे गिरफ्तार करके पुलिस ने दिनांक 09/01/2013 को अपनी कस्टडी में लिया।

सभी आश्रम स्कूल के विद्यार्थी नहीं हैं तथा सुरगणा गांव के आप–पास के रहने वाले है, को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त पुलिस के कस्टडी में है। अभियुक्तों में श्री पांडुरंग वांगारे, उम्र 16 वर्ष को माइनर रेफरनेटहोम, नाशिक में भेजा गया और शेष 4 अभियुक्तों को नाशिक जेल भेजा गया। अभियुक्तों का मेडिकल करवाया गया और लड़की का मेडिकल रूरल हेल्थ अस्पताल में करवाया गया उसके उपरांत सिविल अस्पताल, नाशिक में एक्जामिन के लिए भेजा गया है।

उप निरीक्षक ने जानकारी दी कि सभी अभियुक्त अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को एफआईआर में नहीं लगाया गया है।

सदस्य महोदय ने उपनिरीक्षक से पूछा कि श्री गिरधर जो 12वीं कक्षा का विद्यार्थी है जिसने रोहिणी रामचंद्र पवार को एकान्त स्थान में बुलाने के लिए कहा उस पर आपने क्या कार्यवाही की? उपनिरीक्षक ने बताया कि उनसे बात–चीत की गयी तथा उसका इस घटना में कोई हाथ न होने की वजह से पूछताछ करके छोड़ दिया गया है। सदस्य महोदय ने कहा कि यदि गिरधर, रोहिणी को ऐसी एकान्त जगह में आने को नहीं कहता तो रोहिणी के साथ ये घटना घटित नहीं होता। गिरधर पर भी कार्यवाही होना प्रस्तावित है ताकि आश्रमशाला या विद्यालय के बच्चों में भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो सके।

<u>पीड़ित छात्रा से बात–चीत</u>

राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाला पलसन, तालुका–सरगाणा, जिला–नाशिक तथा घटना स्थल की जांच उपरांत सदस्य महोदय तथा उप निदेशक एवं असिसटेंट ट्राईब्ल कमिश्नर पीड़ित छात्रा रोहिणी रामचंद्र पवार तथा उनकी मां श्रीमती रूकमनी से अन्य आश्रमशाला में मिले। रोहिणी से मालूमात की कि वह 12वीं कक्षा के साइन्स डिसीप्लीन की छात्रा है तथा राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रम स्कूल में पढ़ती है तथा आश्रमशाला, पलसन में निवास करती है। रोहिणी से पूछने से उसने बताया कि रविवार को उसके कक्षा का छात्र गिरधर से उनका मिलने का प्रोग्राम स्कूल के पीछे पहाड़ी में पूर्व से ही तय था तथा रविवार को वह स्कूल के अधिकारियों से बिना कोई अनुमति लिए वह अपनी सहछात्रा मंगला के साथ 11.00 बजे अपनी आंटी जो कि पास के गांव में ही रहती हैं, के घर गयी। वहां खाना खाकर वापस 11.30 बजे के दरम्यान अपने दोस्त गिरधर से मिलने मंगला के साथ पहाड़ी पर उस रास्ते से गयी जिस रास्ते पर रविवार को गांव के बच्चे/लड़के क्रिकेट का मैच खेल रहे थे। गिरधर पहाड़ी के दूसरे रास्ते से चढकर तय स्थान पर पहुंचा तथा रोहिणी ने बताया कि वह गिरधर के साथ बात–चीत के दौरान उन्हें समय का आभास नहीं हुआ। लगभग दो ढाई घंटे तक बात–चीत करती रही। पूछने पर बताया कि मंगला आपकी सहपाठी जब आप गिरधर से बात कर रही थी वह कहां थी। रोहिणी ने कहा कि मंगला थोड़ी दूर में बैठी हुई थी। जब गिरधर बात करके जहां से आया था उसी पहाड़ी से नीचे वापस चला गया तब मंगला

और रोहिणी दोनो पहाड़ो से नीचे आ रही थी तो कुछ लड़कों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की जिसमें मंगला अपने आप को छुड़ा कर भाग गयी तथा रोहिणी को लड़कों ने पकड़ लिया तथा दो–तीन लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। रोहिणी ने यह भी बताया कि वह डर के मारे झाड़ियों में ही छुपी रही। उसने आश्रम के कर्मचारी बोर्डा की आवाज भी सुनी परन्तु वह लोकलज्जा की वजह से नीचे नहीं आयी और कोई आवाज पर जवाब नहीं दिया क्योंकि वह बहुत घबराई हुई थी। उसने यहां तक भी कहा कि वह नीचे आना ही नहीं चाहती थी तथा आत्महत्या करना चाहती है। परन्तु उसे एक लड़का नहानु मनोहर निपुंगड़े समझाबुझा कर उसे लगभग 8.30 –9.00 बजे के दौरान नीचे लेकर आया जिस समय उसे स्कूल अधिकारी/कर्मचारी तथा उसके माता–पिता ढूंढ रहे थे। रोहिणी से जानना चाहा कि वह उन लड़कों को पहले से जानती थी। रोहिणी ने बताया कि उन्हें पहले कभी नहीं देखा था।

रोहिणी ने पढ़ाई में अपने आप को अच्छा बताते हुए अपनी जिज्ञासा रखी कि वह आगे पढ़ना चाहती है। फिलहाल उसे आश्रम से घर भेज दिया गया है। रोहिणी ने कहा कि 12वीं की प्रैक्टिकल की परीक्षा शुरू होने वाली है उसने अपने बोर्ड को बदलने की भी इच्छा व्यक्त की। सदस्य महोदय ने उनकी माता श्रीमती रूकमनी से पूछा कि वह जिन लड़कों ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है उन पर क्या कार्यवाही चाहती है। रोहिणी की माता रूकमनी ने कहा कि वह सख्त से सख्त सजा की मांग करती है तथा सरकार से गुजारिश करती है कि उसकी बेटी की पढ़ाई में कोई दिक्कत न आये। उनकी बेटी को पढ़ाई में पूर्ण सहायता मिले। उनसे पूछा गया कि रोहिणी के पिता आज आपके साथ क्यों नहीं आए तो उन्होंने बताया कि वह जिला में अध्यापक है तो व्यस्तता के कारण नहीं आये।

रोहिणी की दो बहने हैं जो 10वीं कक्षा में पढ़ती है तथा एक भाई है जो 8वीं कक्षा का छात्र है। रोहिणी ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की कि वह पढ़ लिखकर पुलिस में भर्ती होना चाहती है जिसके लिये वह अपने पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती।

उप निदेशक ने रोहिणी से पूछा कि आपने अपने साथ जो घटना पहाड़ी में घटित हुई नीचे आ कर अपने प्रधानाचार्य, आश्रम अधिकारी एवं अपने माता–पिता को क्यों नहीं बताई तो रोहिणी ने उत्तर दिया कि उस समय वह इतनी डरी व सहमी हुई थी कि उसके साथ जो घटना हुई है उसे किसी को नहीं बताया। दिनांक 24/12/2012 को वह अपने घर में थी तो उसे कुछ शारीरिक परेशानी आने पर अपने छोटी बहन को उसके साथ घटित घटना के बारे में बताया। छोटी बहन ने अपनी मां को बताया तथा उसकी माता ने अपनी पति को रोहिणी के साथ हुई घटना की जानकारी दी तथा 25/12/2012 तारीख को वह उपरोक्त घटना की एफआईआर दर्ज के लिए थाना पहुंचे। रोहिणी ने बताया कि थाने में पहुंचकर एफआईआर लिखवाने से पहले उनके पिता तथा गांव के व्यक्ति जो साथ गये थे के बीच चर्चा हुई तथा उन्होंने सामाजिक कारणों को मद्देनजर रखते हुए एफआईआर दर्ज नहीं करवाए तथा थाने में एक पत्र पर लिखकर वापस चले आए।

27/12/2012 को उनके प्रशासन से प्रोजेक्ट अधिकारी इत्यादि उनके घर आए तथा उन्होंने बात–चीत की तथा सच्चाई की प्रकाष्ठा को सामने रखकर दिनांक 27/12/2012 को एफआईआर सं0 1–ईओ/2012 पुलिस थाना सुरगाणा दर्ज कराया। रोहिणी से उप निदेशक ने पूछा कि आपकी मेडिकल जांच कब हुई तथा जो वस्त्र आप पहनी हुई थी वह पुलिस को दे दिया है तो उसने बताया कि जो वस्त्र वह पहनी हुई थी उसे वह धो डाली थी क्योंकि वह उसको इस प्रकार की जानकारी नहीं थी। परन्तु पुलिस को उसने वह वस्त्र सौंप दिए हैं।

सदस्य महोदय ने विभागीयं अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों एवं सुझावों पर भी चर्चा की और निम्नलिखित अभिमत/सिफारिशें की गयीः–

1. गांव और जो आश्रम स्कूल के आसपास रहने वाले सभी परिवार अनुसूचित जनजाति के कोकणा जाति के हैं। मामले के पांचों अभियुक्त अनुसूचित जनजाति के हैं। असिसटेंट ट्राईबल कमिश्नर को सलाह दी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अन्तर्गत रिलीफ नहीं मिल सकती है तथा आईपीसी

की धारा तथा जनरल माध्यम जो राहत विकटम को रिलीफ दी जाती है वह तुरन्त दिलवाने का व्यवस्था करें।

2. सभी आश्रम विद्यालयों में चारदीवारी होनी चाहिए। वर्तमान में आश्रम विद्यालयों में सह–शिक्षा पद्धति है अर्थात् लड़के और लड़कियां साथ–साथ पढ़ते हैं। ऐसा प्रस्तावित है कि लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग आश्रम विद्यालय होने चाहिए।

3. आश्रमस्कूल में कोई महिला कर्मचारी नहीं दिखाई दी सभी पुरूष कर्मचारी दिखाई दिए। संस्तुती की गयी है कि छात्राओं के छात्रावास में महिला कर्मचारी और अध्यापक का होना अतिआवश्यक है तथा महिला छात्रावास में महिला अधिकारी की पोस्टिंग तत्काल की जानी चाहिए। विद्यालय में रात में रूकने के दौरान महिला अधीक्षक के साथ एक समूह 'घ' महिला कर्मचारी होनी चाहिए। आईटीडीपी के सभी परियोजना अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि रात्रि में विद्यार्थियों के साथ कम से कम एक महिला कर्मचारी रूकेगी और उनके साथ सोयेगी। आईटीडीपी के सभी अपर जनजातीय आयुक्तों एवं परियोजना अधिकारियों को आश्रम विद्यालयों में रिक्त पदों को तुरन्त, प्रायिकता के साथ मार्च, 2013 तक भरने के लिए कहा गया है। सभी अपर जनजातीय आयुक्तों (समूह ग कर्मचारियों के लिए) और सभी परियोजना अधिकारियों, आईटीडीपीएस (समूह घ कर्मचारियों के लिए) को मार्च, 2013 तक रिक्त पदों को भरने के लिए कहा गया है।

4. आश्रम स्कूल में एक ही चौकीदार है जो कि रात व दिन में ड्यूटी करता है तथा आश्रम स्कूल में एक चौकीदार दिन में एवं एक रात में ड्यूटी करने के लिए पोस्ट करने की तत्काल कार्रवाई की जाए।

5. सभी अध्यापन एवं गैर–अध्यापन कर्मचारी उन्हें दिए गए मुख्यालय में ठहरने चाहिए। इसके लिए सभी राजकीय विद्यालयों की ही तरह अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालयों में बायोमिट्रिक उपस्थिति प्रणाली लगायी गयी है। चूक करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी होगी। बायोमिट्रिक प्रणाली जो कि चालू नहीं है

उसे तुरन्त ठीक करायी जाए ताकि बच्चे उन विद्यालय में आये तो अपनी उपस्थिति पूरी तरह से मार्क कर सके। सभी कर्मचारी तथा विद्यार्थी वहां उपलब्ध बायोमिट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर अपनी प्रतिदिन की उपस्थिति दर्ज कराने चाहिए। विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए गतिविधि पंजिका रखनी चाहिए।

6. विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए। इसके लिए संबंधित जिले के सिविल सर्जन के नियंत्रण में एक मोबाईल यूनिट कार्य कर रही है। सभी आश्रम विद्यालयों की चारदीवारी होनी चाहिए एवं परिसर साफ होना चाहिए। सभी आश्रम विद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखे जाने चाहिए। सभी आश्रम विद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होना चाहिए जिसमें सर्पदंश प्रतिरोधी सीरम तथा बिच्छुदंश प्रतिरोधी सींरम के साथ अन्य आवश्यक दवाईयां हों। विद्यार्थियों की तिमाही स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए। आश्रम विद्यालयों में आवधिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को विद्यालय परिसरों में पर्याप्त सफाई सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

7. कर्मचारियों के आवास पर किसी भी विद्यार्थी को घरेलू कामकाज करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। सभी कर्मचारी उनके संबंधित मुख्यालयों में ठहरेंगे।

8. प्राधानाध्यापक ने मामले में समय रहते पुलिस को सूचना नहीं दी। यदि कोई आश्रम में अनहोनी घटनाएं घटित होती हैं तो तत्काल इन्हें उच्च कार्यालयों को सूचित किया जाना चाहिए।

9. विद्यालय की 12वीं कक्षा की छात्राओं ने उप निदेशक को स्नानघर और शौचालय दिखाये जिनके दरवाजों में जंग लगे हैं तथा स्थानघर के चार कमरे हैं तथा शौचालय की स्थिति भी वही है जिसमें सुबह 150 से 200 बच्चों को नहाना भी है। यहां स्नान के लिए स्नानघर की संख्या एवं शौचालयों की संख्या बढ़ाई जाए। शिकायत में छात्रों ने बताया कि शौचालय कम होने की वजह से बच्चों को स्कूल के बाहर जाना पड़ता है।

10. जो प्रीमिसेड की दीवार टूटी हुई है उसको तत्काल बनाया जाए। छात्रों ने अपना रहने का स्थान दिखाया जिसमें उनकी मैटरेस फटी एवं टूटी हालत में है। पुराने मैटरेस को बदलने की संस्तुती की जाती है । बिजली टयूबलाईटस का बन्दोबस्त ठीक होना अति आवश्यक है।

11. आश्रम स्कूल में सामाजिक कार्यकर्ता का होना अति आवश्यक है जोकि छात्र–छात्राओं की गतिविधियों एवं आश्रमों में निगरानी रखें।

12. आश्रम स्कूलों में महिला पुलिस अधिकारी की तैनाती या विजिट सुनिश्चित की जाए तथा पुलिस.क्षेत्रों में निगरानी के लिए पेट्रोलिंग करें।

सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित
National Commission
भारत सरकार
नई दिल्ली

Dt. 21/02/2013